न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 787/2022
अनवान : –

1. राजेश कुमार पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. इन्द्रसिंह पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त० अधि० 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 9/2/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 35/35 की कुल तादादी 22.7000 हैक्ट भूमि में से 253/2270 हिस्सा के इन्द्रसिंह पुत्र रूपराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 35/35 की कुल 22.7000 हैक्ट भूमि में से 253/2270 हैक्ट भूमि वादी के पिता रूपराम ने अपनी पैतृक आय से अर्जित कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवा दी तथा वादी के पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा था कि उपरोक्त कृषि भूमि में से आधा हिस्सा वादी के नाम करवा देना तथा वादी के पिता उपरोक्त तथाकथित कथन के आधार पर वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 35/35 की कुल 22.7000 हैक्ट भूमि में से सयुंक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 253/2270 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर जमाबंदी दुरूस्त करवापाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर [illegible] की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:58:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को काई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी ने नवीनतम जमाबंदी रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 549/35 पेश कि जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 35/35 की कुल तादादी 22.7000 हैक्ट भूमि में से 253/2270 हिस्सा के इन्द्रसिंह पुत्र रूपराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 35/35 की कुल 22.7000 हैक्ट भूमि में से 253/2270 हैक्ट भूमि वादी के पिता रूपराम ने अपनी पैतृक आय से अर्जित कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज करवा दी तथा वादी के पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा था कि उपरोक्त कृषि भूमि में से आधा हिस्सा वादी के नाम करवा देना तथा वादी के पिता उपरोक्त तथाकथित कथन के आधार पर वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 35/35 की कुल 22.7000 हैक्ट भूमि में से सयुंक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 253/2270 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 35/35 की कुल तादादी 22.7000 हैक्ट भूमि में से 253/2270 हिस्सा के इन्द्रसिंह पुत्र रूपराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उभयपक्ष ने उक्त वाद भूमि, हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 35/35 की कुल तादादी 22.7000 हैक्ट भूमि में से 253/2270 हिस्सा के इन्द्रसिंह पुत्र रूपराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 35/35 की कुल 22.7000 हैक्ट भूमि में से 253/2270 हैक्ट भूमि वादी के पिता रूपराम ने अपनी पैतृक आय से अर्जित कर प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:58:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 1 के नाम दर्ज करवा दी तथा वादी के पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा था कि उपरोक्त कृषि भूमि में से आधा हिस्सा वादी के नाम करवा देना तथा वादी के पिता उपरोक्त तथाकथित कथन के आधार पर वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में 1/2 हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 35/35 की कुल 22.7000 हैक्ट भूमि में से सयुंक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 253/2270 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकार किया जाकर जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 549/35 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:58:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 787/2022

अनवान : –

1. राजेश कुमार पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. इन्द्रसिंह पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 787 सन 2022 निर्णय दिनांक – 09/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 549/35 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/02/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:58:34 IST
Reason: SelfAttested